भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1192
जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

1192. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं और इस योजना के माध्यम से अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;
(ख) देश में पीएमजेडीवाई की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है;
(ग) इसके कार्यान्वयन के दौरान सरकार के समक्ष आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने वह उद्देश्य हासिल कर लिया है जिसके लिए पीएमजेडीवाई शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई महिलाओं का प्रतिशत कितना है;
(च) क्या सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाया है;
(छ) पीएमजेडीवाई के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और योजना की शुरुआत से लेकर अब तक रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और उस्मानाबाद सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में इसके तहत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और
(ज) योजना के तहत अधिकतम क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ज): सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचितों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करने, गैर-वित्तपोषितों को वित्तपोषण प्रदान करने और असेवित तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई), का शुभारंभ किया था।

सरकार की वित्तीय समावेशन की पहल को गति प्रदान करने के लिए पीएमजेडीवाई योजना को "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 14.08.2018 से आगे बढ़ाया गया था। इस योजना को :-

(i) ओडी सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और
(ii) रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के संशोधनों के साथ और अधिक आकर्षक बनाया गया।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 29.11.2023 तक कुल 51.04 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं जिसमें कुल जमाराशि 2,08,855 करोड़ रुपए है, इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पीएमजेडीवाई देश में बैंकिंग पैठ में वृद्धि करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रहा है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए कुल जनधन खातों में से, महिलाओं द्वारा 55.8% खाते खोले गए हैं।दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार,पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 34.67 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और उस्मानाबाद जिलों सहित महाराष्ट्र राज्य में खोले गए बैंक खातों की जिला-वार संख्या को अनुबंध में दर्शाया गया है।

******

दिनांक 11.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध		
29.11.2023 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में खोले गए पीएमजेडीवाई खातों का ब्यौरा		
क्र.सं.	**जिला**	**कुल खातों की संख्या**
1	अहमदनगर	15,45,198
2	अकोला	5,85,775
3	अमरावती	8,48,473
4	औरंगाबाद	14,37,955
5	बीड	12,23,125
6	भंडारा	4,75,899
7	बुलढाना	8,88,760
8	चंद्रपुर	6,75,964
9	धुले	7,76,151
10	गडचिरोली	3,18,919
11	गोंदिया	6,32,602
12	हिंगोली	6,12,064
13	जलगांव	14,38,128
14	जालना	8,05,164
15	कोल्हापुर	13,78,423
16	लातूर	8,99,512
17	मुंबई	5,74,478
18	मुंबई उपनगर	9,19,778
19	नागपुर	12,87,628
20	नांदेड़	14,42,012
21	नंदुरबार	7,14,452
22	नासिक	21,50,234
23	उस्मानाबाद	7,13,475
24	पालघर	8,72,626
25	परभनी	8,64,686
26	पुणे	18,43,571
27	रायगढ़	5,98,330
28	रत्नागिरि	4,24,603
29	सांगली	8,83,779
30	सतारा	8,29,071
31	सिंधुदुर्ग	2,21,423
32	सोलापुर	16,20,001
33	ठाणे	14,31,623
34	वर्धा	3,59,689
35	वाशिम	3,99,527
36	यवतमाल	11,26,219
योग		**3,38,19,317**